"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई 2008—श्रावण 3, शक 1930

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं जन न्यास पंजीयन अधिकारी, गरियाबंद जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)

गरियाबंद, दिनांक 4 जलाई 2008

क्रमांक/अपंजीकृत ब/113/वर्ष 2007-08 ग्राम राजिम, तहसील राजिम जिला/रायपुर छ. ग. —चूंकि छत्तीसगढ़ जन न्यास अधिनियम 1951की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में है कि इस प्रकरण की सुनवाई मेरे न्यायालय में दिनांक 30-07-08 को स्थान गरियाबंद में समय 10.30 बजे होगी.

इस न्यास की सम्पत्ति में रुचि रखने वाले कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है तो इस सूचना के प्रकाशन के तारीख 30-07-08 के अंतर्गत दो प्रतियों में लिखित रूप से भेज सकता है तथा मेरे समक्ष उपरोक्त तिथि को स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित हो सकता है. इस अवधि की समाप्ति के उपरांत प्राप्त आपत्तियां विचारणीय नहीं होगी.

अनुसूची

(ट्रस्ट का नाम एवं पता तथा संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम	:	श्री दत्तात्रेय भगवान मंदिर राजिम
2.	अचल संपत्ति	:	अचल संपत्ति का विवरण

स्थित	खसरा नंबर	रकबा
ग्राम भूमि राजिम	876 दु.	1.348 हे.
	875 दु.	0.506 हे.
	976 दु.	0.277 हे.
	875 दु.	0.223 हे.
	899/32	0.324 हे.
हथखौज नागझर	465	3.130 हे.
	294	0.66 हे.
	307	1.07 हे.
	315	1.14 हे.
	320	0.13 हे.
अतरमरा	281	0.676 हे.
	214	0.267 हे.
	247	0.223 हे.
खटटी	160	0.56 हे.
	348	0.02 हे.

अर्जुन सिंह सिोदिया,
अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं पंजीयक लोक न्यास, दुर्ग,

दुर्ग, दिनांक 3 जुलाई 2008

प्ररूप-चार
[नियम 5(1) देखिए]
सूचना पत्र

छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिए.

क्रमांक 775/प्र -3/लोन्यास/अविअ/2008.—चूंकि श्री मूलचंद जैन आ. स्व. सुल्तानमल जैन निवासी 70 ए 10 नेहरूनगर (पश्चिम) भिलाई द्वारा पुष्पा मूलचंद चेरीटेबल ट्रस्ट, 224 जोनल मार्केट सेक्टर 10 भिलाई को छ. ग. न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 21-7-08 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं क्यू. ए. खान तहसील व जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 21-7-08 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता तथा संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम	:	पुष्पा मूलचंद चेरीटेबल ट्रस्ट, 224 जोनल मार्केट सेक्टर 10 भिलाई
2.	लोक न्यास की संपत्ति	:	निरंक

दुर्ग, दिनांक 3 जुलाई 2008

प्ररूप-चार

[नियम 5(1) देखिए]

छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 का नियम (1) देखिए.

क्रमांक 775/प्र -3/लोन्यास/अविअ/2008.—चूंकि डॉ. अजिता चौहान आत्मज स्व. श्री शेरसिंह चौहान, निवासी क्वा. नंबर 367 सड़क नंबर 2 ज्योति मार्ग शांतिनगर भिलाई द्वारा श्री मां जगदम्बा दुर्गा देवी चेरीटेबल ट्रस्ट, सड़क 2 ज्योति मार्ग शांतिनगर भिलाई को छ. ग. न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 10-7-08 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं क्यू. ए. खान तहसील व जिला दुर्ग का लोक न्यासो का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 10-7-08 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता तथा संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम	:	श्री मां जगदम्बा दुर्गा देवी चेरीटेबल ट्रस्ट, सडक 2 ज्योति मार्ग शांतिनगर भिलाई
2.	लोक न्यास की संपत्ति	:	निरंक

क्यू. ए. खान,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 12 जून 2008

क्र./परिसमापन/2008/1224.—पंजीयन क्रमांक 95 दिनांक 3-11-97 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1049 दिनांक 9-8-2007 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. एस. ठाकुर, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारी गृह निर्माण सह. सं. मोपका को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एम. के. बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 19 जून 2008

क्र./परिसमापन/2008/1297.—स्वामी विवेकानंद नगर पालिक कर्म. गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 41 दिनांक 29-9-82 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 838 दिनांक 23-4-08 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. एस. ठाकुर, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, स्वामी विवेकानंद नगर पालिक निगम कर्म. गृह निर्माण बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एम. आर. ध्रुव, वरि. सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

डी. एस. ठाकुर,
संयुक्त पंजीयक.

बिलासपुर, दिनांक 9 जून 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के नियम 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्र./परिसमापन/2008/1202.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/777/बिलासपुर दिनांक 27-6-2006 के तहत् सतनाम परिवहन सहकारी समिति मर्यादित, मस्तुरी, पंजीयन क्रमांक 92 दिनांक 1-10-97 विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के तहत् श्री बी. आर. यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तुरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा संस्था का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत् संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 09-06-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 9 जून 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के नियम 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्र./परिसमापन/2008/1212.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/603/बिलासपुर दिनांक 17-5-2006 के तहत् विलासा मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, रिसदा, पंजीयन क्रमांक 3825 दिनांक 26-12-96 विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के तहत् श्री बी. आर. यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तुरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा संस्था का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत् संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 09-06-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 9 जून 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के नियम 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्र./परिसमापन/2008/1213.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/766/बिलासपुर दिनांक 20-6-2006 के तहत् छत्तीसगढ़ ईट भट्ठा सहकारी समिति मर्यादित, लूथरा सरीफ, पंजीयन क्रमांक 3447 दिनांक 2-12-91 विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के तहत् श्री बी. आर. यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तुरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा संस्था का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत् संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 09-06-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 28 जून 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्र./परिसमापन/2008/1359.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/909/बिलासपुर दिनांक 23-7-2007 के तहत् प्रियदर्शनीय नगर उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, प्रियदर्शनीय नगर बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3598 दिनांक 17-2-95 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत् श्रीमति शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत् संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-06-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 28 जून 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्र./परिसमापन/2008/1361.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1055/बिलासपुर दिनांक 9-8-2007 के तहत् गायत्री उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, महाराणा प्रताप नगर बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3404 दिनांक 17-2-95 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत् श्रीमति शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत् संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-06-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

डी. आर. ठाकुर,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 28 जून, 2008

क्रमांक/परिसमापक/07/क्यू 814.— छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास निम्न संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवे. अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्र. दिनांक (3)	परिसमापक (4)	स्थान (5)
1.	जय हनुमान सह. उप. भंडार मर्या. तारबहार, बिलासपुर.	3944/ 1-11-99	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
2.	प्राथमिक --"-- विनोबा नगर बिलासपुर.	3664/ 22-04-95	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
3.	प्राथमिक --"-- सुभाष नगर बिलासपुर.	3631/ 28-02-95	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
4.	प्राथमिक --"-- टिकरापारा बिलासपुर.	2786/ 18-01-84	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
5.	मां बम्लेश्वरी --"-- बंगलायार्ड बिलासपुर.	3647/ 15-03-95	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
6.	जागृति --"-- शंकरनगर बिलासपुर.	3932/ 10-03-99	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
7.	नवमित्र --"-- प्रियदर्शिनी नगर बिलासपुर.	3638/ 08-09-95	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
8.	जयबुढ़ीमाई --"-- चिंगराजपारा बिलासपुर.	3917/ 30-09-98	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
9.	प्राथमिक--"--तात्याटोपेनगर बिलासपुर.	3626/ 24-02-95	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
10.	बंगलायार्ड--"--लोकोकालोनी रेल्वे बिलासपुर.	3641/ 14-03-95	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
11.	शारदा प्राथमिक--"--राजेन्द्रनगर बिलासपुर.	3662/ 17-04-95	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
12.	राजीव प्राथमिक--"-- निरालानगर, बिलासपुर.	3665/ 29-04-95	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
13.	संजय प्राथमिक --"-- असफॉक उल्ला खॉं बिलासपुर.	3642/ 14-03-95	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
14.	विशाल --"-- शंकर नगर बिलासपुर.	3643/ 14-3-95	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.

बिलासपुर, दिनांक 23 मई, 2008

क्रमांक/परिसमापक/07/क्यू 1071.—छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास निम्न संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें. अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. एवं दिनांक	परिसमापक	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	विकास महिला बहु. सह. समिति मर्या. मोपका.	109/ 25-4-2001	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
2.	आदर्श उन्नत सुअर पालन एवं विपणन सह. समि. बिलासपुर.	192/ 16-7-2002	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
3.	आरजु साख सह. समिति मर्या. टिकरापारा बिलासपुर.	124/ 4-1-2002	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
4.	अग्रसर महिला बहु. सह. समि. तिफरा बिलासपुर.	148/ 30-12-2004	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
5.	जे. पी. बकरी पालन एवं विप. समिति मर्या. बिलासपुर.	1667/ -	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
6.	अरपा खारून रेत परिवहन श्रमिक सह. समि. मर्या. बिलासपुर.	169/ 27-8-2004	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
7.	सफाई कामगार सह. समि. मर्या. शंकरनगर बिलासपुर.	142/ 27-12-02	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
8.	डॉ. अंबेडकर महिला सह. उद्योग जरहाभाठा, बिलासपुर.	3558/ 1-12-94	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
9.	शिव सामु. कृषि सह. समि. मर्या. मोपका.	2991/ 19-12-73	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
10.	उज्जवल मछुवा सह. समि. परसदा	3568/ 02-01-95	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
11.	आदर्श ईंट भट्टा सह. समि. मर्या. देवरीखुर्द.	3780/ 25-9-96	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
12.	मां शारदा महिला बहु. सह. समि. मर्या. परसदा.	3954/ 16-6-2000	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.

नमिता विश्वास,
सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 3 जुलाई, 2008

क्रमांक/परिसमापक/07/क्यू /1386.— छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास निम्न संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को सौंप देवें. अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)
1.	खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या. मंगला पं. क्र. 119 दि. 13-08-2000
2.	मां दुर्गा खनिज सहकारी समिति मर्या. मोपका पं. क्र. 3806 दि. 3-10-96
3.	जागृति महिला साख सहकारी समिति मर्या. जूना बिलासपुर पं. क्र. 221 दि. 07-05-05
4.	समीक्षा कामगार सहकारी समिति मर्या. राजकिशोरनगर बिलासपुर पं. क्र. 133 दि. 20-09-2002
5.	मदरटेरेसा क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या. पुराना सरकण्डा बिलासपुर पं. क्र. 227 दि. 16-10-2005
6.	रफ्तार परिवहन सहकारी समिति मर्या. दयालबंद बिलासपुर पं. क्र. 65 दि. 27-12-91
7.	शिवांजली गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. प्रियदर्शिनीनगर बिलासपुर पं. क्र. 96 दि. 28-01-2000
8.	छ. ग. गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पं. क्र. 45 दि. 18-02-83
9.	शासकीय कर्मचारी कल्याण गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पं. क्र. 78 दि. 15-04-94

आर. डी. घृतलहरे,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक, जनपद पंचायत, लोरमी जिला बिलासपुर (छ. ग.)

लोरमी, दिनांक 25 जून, 2008

क्रमांक/परिसमापक/08/क्यू1347.— छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास निम्न संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें. अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र.	संस्था का नाम	पं. क्र. व दिनांक	परिसमापक	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. तेलीखम्ही.	2305	एन. के. कश्यप, सह. वि. अधिकारी	जनपद पंचायत लोरमी
2.	महामाया कामगार सहकारी समिति मर्या. बुधवारा.	3950	एन. के. कश्यप, सह. वि. अधिकारी	जनपद पंचायत लोरमी
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. पैजनिया.	3731	एन. के. कश्यप, सह. वि. अधिकारी	जनपद पंचायत लोरमी
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. पथर्रा.	3726	एन. के. कश्यप, सह. वि. अधिकारी	जनपद पंचायत लोरमी
5.	खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या. मोहतरा कुर्मी.	117	एन. के. कश्यप, सह. वि. अधिकारी	जनपद पंचायत लोरमी
6.	रफ्तार परिवहन सहकारी समिति मर्या. परसकापा.	65	एन. के. कश्यप, सह. वि. अधिकारी	जनपद पंचायत लोरमी
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. कुधुरताल.	3362	एन. के. कश्यप, सह. वि. अधिकारी	जनपद पंचायत लोरमी
8.	मनियारी मछुवा सहकारी समिति मर्या. खुड़िया.	2952	एन. के. कश्यप, सह. वि. अधिकारी	जनपद पंचायत लोरमी
9.	जनता मछुवा सहकारी समिति मर्या. खुड़िया.	3094	एन. के. कश्यप, सह. वि. अधिकारी	जनपद पंचायत लोरमी
10.	लाखासार मछुवा सहकारी समिति मर्या. खुड़िया.	2996	एन. के. कश्यप, सह. वि. अधिकारी	जनपद पंचायत लोरमी
11.	आदर्श गिट्टी खदान सहकारी समिति मर्या. बुधवारा.	3350	एन. के. कश्यप, सह. वि. अधिकारी	जनपद पंचायत लोरमी
12.	जय बुढ़ादेव मछुवा सहकारी समिति मर्या. परसवारा.	114	एन. के. कश्यप, सह. वि. अधिकारी	जनपद पंचायत लोरमी
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. राजपुर.	3151	एन. के. कश्यप, सह. वि. अधिकारी	जनपद पंचायत लोरमी
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. चन्दरपुर.	3733	एन. के. कश्यप, सह. वि. अधिकारी	जनपद पंचायत लोरमी
15.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. हरदी.	3725	एन. के. कश्यप, सह. वि. अधिकारी	जनपद पंचायत लोरमी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	खुड़िया मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या. खुड़िया.	2525	एन. के. कश्यप, सह. वि. अधिकारी	जनपद पंचायत लोरमी
17.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. फुलवारीकला.	3839	एन. के. कश्यप, सह. वि. अधिकारी	जनपद पंचायत लोरमी

एन. के. कश्यप,
सहकारिता विस्तार अधिकारी.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थायें, मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ. ग.)

मतस्तूरी, दिनांक 26 जून, 2008

क्रमांक/परि./08/809.— सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर द्वारा छ. ग. सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं का परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापन में आने का आदेश क्रमांक दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जय डिडेंश्वरी ईटभट्ठा सह. संस्था मर्या. मल्हार.	3553/ 20-10-94	836, 10-7-07
2.	धीवर मछुवा सह. समिति मर्या. सीपत.	3551/ 25-10-94	939, 10-7-07
3.	जनता चिमनी ईंट भट्ठा --"--देवगांव.	3446/ 2-12-91	840, 10-7-07
4.	आदर्श परिवहन --"-- देवगांव.	75/ 30-6-93	849, 23-04-08
5.	दुग्ध उत्पादक --"-- हिर्री.	3841/ 1-3-97	930, 6-5-08

अतएव छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57(5) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित की जाती है की उपरोक्त समितियों के समस्त देनदार, लेनदार अपने दावे मय प्रमाण पत्र के लिखित में इस प्रकाशन के दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मस्तुरी जिला बिलासपुर में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे. तथा समिति की लेखा पुस्तके अंकेक्षण टीप में लेख समस्त दायित्व स्वत: विधिपूर्वक प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्था का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देंवे. अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक 26-6-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

बी. आर. यादव,
परिसमापक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2008.